

न्यायालय श्री राजीव कुमार मुंसिफ अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय, गोगरी खगड़िया
आदेश

T. S. 64/ 2019

13.09.2021 उभय पक्षों की ओर से हाजरी है। वादी की ओर से दिनांक 15.02.2021 को एक आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अस्थाई व्यादेश हेतु दाखिल किया गया है जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी सं० 07 (प्रतिवादी द्वितीय पक्ष) की ओर से दिनांक 16.03.2021 को दाखिल किया गया है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्षों को वादी की ओर से दाखिल आवेदन तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर पर पूर्ण रूपेण बारी बारी से सुना।

वादी की ओर से दाखिल आवेदन में अभिकथन किया गया है कि वादी की ओर से उपरोक्त दिवानी वाद वास्ते वाद पत्र के परिशिष्ट 2 की जमीन पर स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादीगण से प्रश्नगत जमीन पर से अवैध संरचना को हटाने एवं दखल कब्जा वापस करने हेतु लाया गया है, साथ ही साथ वाद भूमि पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को जाने पर स्थायी रूप से निषेधाज्ञा आदेश पारित करने हेतु यह वाद लाया गया है। आगे कथन किया है कि वादी के द्वारा दिनांक 18.03.2011 ई० को मो० जुबैर व मो० रूवैद दोनों पे० स्व० मो० रमजानी सा० करुआ मोड़, थाना- चौथम, जिला- खगड़िया से रकबा -0-3-10-0(तीन कट्ठा दस धुर) जमीन निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद कर दखलकार हुए, जिसका पूर्ण विवरण वाद-पत्र के परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है। आगे कथन किया है कि वादी की ओर से बिहार सरकार को इस जमीन का मालगुजारी लगातार देते आ रहे हैं जिसका जमाबन्दी सं० 1769 है। आगे कथन किया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा उपरोक्त जमीन में से कमशः रकबा - 0-1-18-0 एवं रकबा- 0-0-7-0 (सात धुर) जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस अवैध संरचना को हटाने हेतु उपरोक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में लाया गया है। इस वाद के लाने के पूर्व अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गोगरी के द्वारा धारा - 144 द० प्र० स० एवं धारा 145 द० प्र० स० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा अवैध संरचना को नहीं हटाया गया तथा धारा 145 द० प्र० स० के अन्तर्गत अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गोगरी के द्वारा दिनांक 22.01.2019 ई० को मो० जुबैर की पत्नी शबाना खातुन के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण के कार्य को रोकने के लिए आदेश दिया गया है। आगे कथन किया गया है कि उपरोक्त सभी प्रतिवादी को वादी ने जब मना किया तो प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी दूसरे पक्ष के सदस्य वादी के साथ मारपीट करने के लिए तैयार हो गये, जिसकी सूचना बेलदौर थानाध्यक्ष को वादी की ओर से उसी दिन लिखित रूप से दिया गया, किन्तु स्थानीय पुलिस प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के मेल में आकर कोई कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया कि यह मामला समक्ष न्यायालय में लंबित है इसलिए जब तक न्यायालय के द्वारा रोक लगातार.....

T. S. 64/ 2019

लगातार.....

दिनांक 13.09.2021

लगाने हेतु कोई आदेश नहीं मिलता है तबतक मैं कुछ नहीं करूंगा। आगे कथन किया है कि प्रतिवादीगण के उपरोक्त खेये से वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में करना सम्भव नहीं है। आगे कथन किया है कि वादी का यह वाद प्रथम दृष्टया सही है तथा वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है। आगे कथन किया है कि वाद पत्र में वर्णित कथन को इस आवेदन पत्र का अंश माना जाय, ताकि सुनवाई के समय श्रीमान को सुविधा हो। आगे कथन किया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा मनगढंत कहानी को आधार बनाया गया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वादी ने प्रतिवादी तृतीय पक्ष के नाम से खरीदी गई जमीन दिनांक 14.09.1992 केवाला सं० 7185 रकबा- 5-14-10-0 (पाँच बीघा चौदह कट्ठा दस धुर) जमीन में से रकबा 0-3-10-0 (तीन कट्ठा दस धुर) जमीन खरीदकर दखलकार हुए, उनके द्वारा यह कथन कि मो० जुबैर के पिता स्व० मो० रमजानी के द्वारा अपने नाबालिग पुत्र के नाम से उपरोक्त जमीन खरीदी गई है या बिल्कुल असत्य है। क्योंकि मो० जुबैर व मो० रूवैद उस समय बालिग हो चुके थे, तथा उनके द्वारा अपने निजी कमाई से यह जमीन खरीदी गई थी। आगे कथन किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों के अलावे अन्य तथ्यों एवं कानूनी पहलू पर सुनवाई के समय विस्तार से पक्ष रखने के लिए वादी तैयार है। अतः प्रार्थना है कि वाद भूमि पर अवलिम्ब अस्थाई रूप से निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा अवैध संरचना पर रोक लगाई जाय, जिसके लिए वादी श्रीमान का सदा आभारी रहेंगे।

दूसरी तरफ प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी संख्या 07 (प्रतिवादी द्वितीय पक्ष) की ओर से इस आवेदन के आलोक में प्रतिउत्तर दिनांक 16.03.2021 को दाखिल कर कथन किया है कि वादी द्वारा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अस्थाई व्यादेश हेतु दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन तथ्यों एवं विधि के अनुसार पोषणीय नहीं है। अतः खारिज योग्य है। आगे कथन किया गया है कि वादी द्वारा यह वाद जमीन पर स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादीगण से प्रश्नगत जमीन पर से अवैध संरचना को हटाने एवं दखल कब्जा वापस करने हेतु लाया गया है। आगे कथन किया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं० 07 इस वाद में दिनांक 21.01.2020 को उपस्थित हुए एवं अपना बयान तहरीर दाखिल किए हैं और यह कारण पृच्छा प्रतिउत्तर उपर वर्णित प्रतिवादीगण के बयान तहरीर का हिस्सा है। आगे कथन किया गया है कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सुविधा का संतुलन नहीं है और न ही वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं वादी इस आवेदन में स्वीकार कर रहा है कि विवाद ग्रस्त भूमि पर उनका दखल कब्जा नहीं है। यह वाद स्वयं प्रतिवादीगण से दखल कब्जा की प्राप्ति हेतु लाया गया। जब वादी विवादग्रस्त भूमि पर दखलकार नहीं है तो अंतरिम व्यादेश का आदेश वादी के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर के पैरा 06 में कथन किया है कि लगातार....

T. S. 64/2019

लगातार.....

दिनांक 13.09.2021

यह स्वीकृत तथ्य है कि मो० रामजनी अपने जीवन काल के दौरान पाँच बीघा दस कट्ठा चौदह धुर जमीन मौजा बेलथा अपने अव्यस्क पुत्र मो जुबैर (प्रतिवादी सं० 08) के नाम से बिक्रय विलेख सं० 7185 से दिनांक 14.09.1992 को खरीद किया जिसका जमाबंदी नं० 1135 है। प्रतिउत्तर के पैरा 07 में अभिकथन किया गया है कि उपरोक्त पाँच बीघा दस कट्ठा चौदह धुर जमीन जो मो० रामजनी व उनके पुत्र मो० जुबैर के नाम से था उसमें से ये दोनों लगभग चार बीघा चौदह कट्ठा जमीन बाईस व्यक्तियों को विक्रय कर दखल कब्जा दे दिया। उसके पश्चात मो० रामजनी एवं उनके पुत्र मो० जुबैर दस कट्ठा जमीन बीबी त्रिजन खातुन जौजे कुदुस अली को दिनांक 13.09.1995 को एवं उसी दिन सात कट्ठा जमीन मो० गनी को बेच दिया। पुनः मो० गनी सात कट्ठा जमीन प्रतिवादी प्रथम पक्ष को दिनांक 04.08.2011 को बेच दिया त्रिजन खातुन के मृत्यु के पश्चात उनके पति, पुत्र, पुत्री ने दस कट्ठा जमीन जो त्रिजन खातुन के नाम से था प्रतिवादी प्रथम पक्ष को दिनांक 04.08.2011 को विक्रय कर दिया। उसके पश्चात प्रतिवादीगण उक्त जमीन पर अपने परिवार के साथ दखल कब्जा के साथ रहते हुए आ रहे हैं। उपरोक्त हस्तान्तरण के पश्चात शेष बची तीन कट्ठा जमीन जो मामला में प्रश्नगत है बिहार सरकार द्वारा आर.ई.ओ. सड़क का निर्माण किया गया जिसका मुआवजा मो० रामजनी को प्रदान किया गया जिसमें प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी सं० 07 का कोई सम्बंध नहीं था। प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी सं० 07 जो केवालादार हैं और उनके भेंडर पर कभी भू स्वामी प्रतिवादी सं० 08 या उनके पिता मो० रामजनी या वादी द्वारा वाद नहीं लाया गया।

वास्तव में वादी द्वारा आर.ई.ओ. सड़क वाली जमीन खरीद किया गया था और अब वादी के द्वारा, प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई उस जमीन में खोजा जा रहा है जो गलत और बेबुनियाद है। लोक शिकायत अधिकारी गोगरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 एकपक्षीय है जिसमें प्रतिवादी को सुनने का अवसर नहीं मिला है। मापी वाद सं० 27/16-17 में पारित आदेश भी मिलीभगत से लिया गया है। क्योंकि प्रतिवादी को उसमें कोई सूचना तामिल नहीं हुआ था और न ही भुस्थल का मापी हुआ था। इसलिए वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 15.02.2021 को खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने यह वाद वाद पत्र के परिशिष्ट 2 की जमीन पर स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादीगण से प्रश्नगत जमीन पर से अवैध संरचना को हटाने एवं दखल कब्जा वापस करने हेतु लाया गया है, साथ ही साथ वाद भूमि पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को जाने पर स्थायी रूप से निषेधाज्ञा आदेश पारित करने हेतु यह वाद लाया गया है। वादी ने अपने आवेदन के पैरा 04 में यह कथन किया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त विवादित जमीन में से रकबा एक कट्ठा अठारह धुर एवं सात धुर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस अवैध संरचना को हटाने हेतु लगातार....

T. S. 64/2019

लगातार.....

दिनांक 13.09.2021

उपरोक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में लाया गया है।

अस्थायी व्यादेश हेतु आदेश 39 नियम 01 सी0पी0सी0 में प्रावधान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वे दशाएँ जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा --- जहाँ किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि -- (क) वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा या डिकी के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा (ख) प्रतिवादी अपने लेनदारों को {कपट वंचित} करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है। (ग) प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस सम्पत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। वहाँ न्यायालय ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रांत किए जाने, विक्रय किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से {अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से} रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाएँ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी के द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है जिससे यह साबित हो कि वादी को अपूर्णणीय क्षति होने की संभावना है। अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 15.02.2021 को अस्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 25.09.2021 वास्ते अग्रिम किया।

लेखापित

मुंसिफ